

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/एकी./अलवर/2014 पार्ट (2016)


जयपुर, दिनांक : 26/01/17

:: आदेश ::

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय अजरका, ग्राम पंचायत अजरका, पं.स. मुण्डावर, जिला अलवर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिरोडकलां, ग्राम पंचायत अजरका, पंचायत समिति मुण्डावर, जिला अलवर को समन्वित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में **राजकीय माध्यमिक विद्यालय अजरका, पं.स. मुण्डावर, जिला अलवर** के विद्यालय की ग्राम सिरोडकलां के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1-8 तक की कक्षाओं को पृथक करते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरोडकलां के रूप में पृथक से संचालित किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। कक्षा 9-10 के विद्यार्थी पूर्व की भांति अध्ययन करते रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,



(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक की गई कक्षाओं (1-8 तक) के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरोडकलां को पृथक से शैक्षणिक संचालन की व्यवस्था करावें।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
7. जिला कलक्टर अलवर
8. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
9. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग जयपुर
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, अलवर
11. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार शाला दर्पण/शाला दर्शन में इन्द्राज करें।
12. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा